रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-168/2017/2171/22-2-2016-17(182)/2007

लखनऊ: दिनांक: 16 मार्च, 2017

आदेश

उत्तर प्रदेश के मा0 राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए **जिला कारागार, मथुरा** के सिद्धदोष **बन्दी हाजी खॉं (बन्दी संख्या-167/13), पुत्र श्री नसीर खॉं उर्फ नेकसू खॉं, निवासी-आजादनगर पुलिस लाईन गेट के सामने गोला बाजार, जिला-मैनपुरी,** जिन्हें **सत्र परीक्षण संख्या-199,225/1978** के अन्तर्गत भारतीय दण्ड विधान की **धारा-302,307/34 एवं 27 आर्म्स एक्ट** के अधीन मा0 चतुर्थ सत्र न्यायाधीश, मथुरा द्वारा दिनांक 17.06.1980 को दोषमुक्त किया गया था, जिसके विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय में राज्य सरकार द्वारा योजित अपील में भा0द0वि0 की **धारा-302,307/34 एवं 27 आर्म्स एक्ट** के अधीन **दिनांक 17-10-1997** को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, की शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त बन्दी द्वारा अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए **जिला मजिस्ट्रेट, मैनपुरी** के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-168/2017/2171(1)/22-2-2016 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, मैनपुरी।
3- पुलिस अधीक्षक, मैनपुरी।
4- अधीक्षक, जिला कारागार, मथुरा।
5- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in